MOST-URGENT
OUT – TODAY

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

क्रमांकः साशा/कोरोना/2020/32310 दिनांक :– 21 मई, 2020

:: आदेश ::

भीलवाडा मे नोवल कोरोना वायरस (**COVID-19**) से संक्रमित व्यक्ति चिन्हित होने एवं संक्रमण फैलने की सम्भावनाओं के मध्यनजर नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक शान्ति बनाये रखने की दृष्टि से जनसाधारण के साधारणतया/अनावश्यक आवागमन, सामुहिक रूप से एकत्रित होने आदि प्रयोजनार्थ जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा एवं जिला मुख्यालय के साथ–साथ जिले के कई क्षेत्रों में सख्त निषेधाज्ञा लागू की हुई हैं।

साथ ही कोरोना वायरस संक्रमण से नागरिकों के बचाव एवं नियंत्रण हेतु जिला मुख्यालय, उपखण्ड स्तर एवं ग्राम पंचायत स्तर पर क्वारेन्टाईन सेन्टर के साथ–साथ होम क्वारेन्टाईन के भी निर्देश जारी किये गये हैं किन्तु राज्य एवं **जिला स्तर पर विभिन्न स्त्रोतों से संज्ञान में आई जानकारी के अनुसार संबंधित व्यक्तियों द्वारा क्वारेन्टाईन भंग किया जा रहा हैं।** वर्तमान में **अन्य राज्यों से आये प्रवासी व्यक्तियों के निरन्तर निर्बाध आवागमन के तत्स्वरूप कोरोना संक्रमण की सम्भावनायें बढने के परिप्रेक्ष्य में क्वारेन्टराईन नियमों की सख्त पालना अतिआवश्यक हैं।** तद्नुसार निम्न निर्देश जारी किये जाते है :–

क्र.सं.	निर्देश
1	**होम क्वारेन्टाईन में रहवासित व्यक्ति द्वारा क्वारेन्टराईन भंग किये जाने** की स्थिति में उसे **चेतावनी जारी करते हुये स्थानीय निगरानी समिति के सदस्यों को पुनः भंग नहीं किये जाने के क्रम में हिदायत दी जावें।**
2	**होम क्वारेन्टाईन में रहवासित व्यक्ति द्वारा बाद चेतावनी पुनः होम क्वारेन्टाईन भंग किये जाने** की स्थिति में **सीधे इंस्टीट्यूशनल क्वारेन्टाईन में कानूनी कार्यवाही के साथ शिफ्ट किया जावें,** साथ ही निगरानी समिति के सदस्यों की जवाबदेही तय की जावें।
3	होम क्वारेन्टाईन तथा इंस्टीट्यूशनल क्वारेन्टाईन के **रिपेटेड प्रकरण सामने आने की स्थिति में** संबंधित उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, विकास अधिकारी एवं ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी के **उत्तरदायित्व का निर्धारण** जिला मुख्यालय से **अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा तय** किया जायेगा।
4	संबंधित **उपखण्ड मजिस्ट्रेट, विकास अधिकारी तथा तहसीलदार द्वारा** दैनिक आधार पर **उपखण्ड मुख्यालय एवं ग्राम पंचायत स्तर पर** स्थित **क्वारेन्टाईन सेन्टर्स एवं होम क्वारेन्टाईन व्यक्तियों** का प्रत्येक अधिकारीगण द्वारा पृथक–पृथक रूप से **न्यूनतम 03 क्वारेन्टाईन सेन्टर्स प्रतिदिन एवं न्यूनतम 10 होम क्वारेन्टाईन किये गये व्यक्तियों का प्रतिदिन** रेण्डम **निरीक्षण/जांच व्यक्तिगत रूप से** करते हुये रिपोर्ट प्रतिदिन प्रभारी अधिकारी क्वारेन्टाईन व्यवस्था (मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाड़ा) को आवश्यक रूप से सांय 5.00 बजे तक भिजवाना जाना सुनिश्चित करेंगें।

-------- 2

5	**बिन्दू सं0 04 के अतिरिक्त भी उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट द्वारा अपने स्तर पर ब्लॉक स्तरीय अधिकारीगण को सम्मिलित करते हुये टीमों का गठन कर भी स्वंय के पर्यवेक्षण एवं मॉनिटरिंग में निरीक्षण एवं जांच कार्य पृथक से सम्पादित** करवाया जाकर दैनिक रिपोर्ट प्रभारी अधिकारी क्वारेन्टाईन व्यवस्था (मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाड़ा) को आवश्यक रूप से सांय 5.00 बजे तक भिजवाना जाना सुनिश्चित करेंगें।

(राजेन्द्र भट्ट)
जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :–

1. जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाड़ा (प्रभारी अधिकारी क्वारेन्टाईन व्यवस्था) को भेजकर लेख है कि उक्तानुसार आदेश की पालना सुनिश्चित कराते हुये दैनिक रिपोर्ट (निरीक्षण प्रपत्र स्वंय के स्तर से तैयार सर्वसंबंधित को उपलब्ध कराते हुये) प्रतिदिन अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करेंगें।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा
4. समस्त जिला स्तरीय अधिकारीगण, भीलवाड़ा
5. समस्त उपखण्ड़ अधिकारीगण जिला–भीलवाड़ा
6. समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति, जिला–भीलवाड़ा
7. समस्त तहसीलदार जिला–भीलवाड़ा
8. संयुक्त निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, भीलवाड़ा
9. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक) सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, भीलवाड़ा
10. सहायक निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय, भीलवाड़ा

जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा